पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 52/2025

अनवान :

1. राकेश कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. रवीता रानी पुत्री जगदीश चन्द्र पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी भिरानी हाल लितानी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

:— वादीगण

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. पार्वती देवी पत्नी जगदीश चन्द्र जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भिरानी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री [illegible] एवं वकील प्रतिवादीगण श्री पूनमचन्द वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के जमाबंदी संवत 2074—77 के खाता संख्या 113/273 के मु0 नं0 49 के कि0नं0 15, 16, 25/1, मु0नं0 50 कि0नं0 11/1, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 21/1, 22/1, 23/3 कुल किता 11 की 1.5680 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश चन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जगदीश चन्द्र अकेले की बजाय वादी संख्या 1 राकेश कुमार, वादी संख्या 2 रवीता कुमारी व प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश चन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 52/2025

अनवान :

1. राकेश कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. रवीता रानी पुत्री जगदीश चन्द्र पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी भिरानी हाल लितानी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

:– वादीगण

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. पार्वती देवी पत्नी जगदीश चन्द्र जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भिरानी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री अक्षय कुमार : वादीगण

वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : **प्रतिवादी सं0 1, 2**

निर्णय **दिनांक :** 05.05.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 113/273 के मु0 नं0 49 के कि0नं0 15, 16, 25/1, मु0नं0 50 कि0नं0 11/1, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 21/1, 22/1, 23/3 कुल किता 11 की 1.5680 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश चन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा बीरबल की खातेदारी हुआ करती थी जो वादीगण के दादा के देहान्त होने के पश्चात तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 को वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जबावदावा पेश किया ... एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्... नही ... अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:29 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में राकेश कुमार पुत्र जगदीश ... जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबं... रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 113/273 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, शपथ पत्र राकेश कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी संवत 2070–2073 खाता संख्या 273 प्रदर्श 3, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा किराड़ा छोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा भिरानी के जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 113/273 के मु0 नं0 49 के कि0नं0 15, 16, 25/1, मु0नं0 50 कि0नं0 11/1, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 21/1, 22/1, 23/3 कुल किता 11 की 1.5680 है0 बारानी वादभूमि उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जगदीश चन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। संख्या 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 113/273 के मु0 नं0 49 के कि0नं0 15, 16, 25/1, मु0नं0 50 कि0नं0 11/1, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 21/1, 22/1, 23/3 कुल किता 11 की 1.5680 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश चन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जगदीश चन्द्र अकेले की बजाय वादी संख्या 1 राकेश कुमार, वादी संख्या 2 सीता कुमारी व प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश चन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा/हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpat Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:29 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पत शिवरान) RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner